फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – साइबर क्राइम फतेहगढ़

दिनांक :- 02.02.25

थाना साइबर क्राइम फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2025 धारा 318(4)/317(2)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस 2023 तथा 66D IT Act से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर/क्राइम **श्री रविन्द्र नाथ राय** के नेतृत्व में साइबर अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराधियों द्वारा जस्ट डायल एप्प के माध्यम में लोगो को ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज भेज कर व्हाट्सएप्प चैट व कॉल कर ट्रांसपोर्ट सुविधा का झांसा देकर एडवांस के रूप में धनराशि लेकर लोगों से साइबर ठगी कर रहे थे तथा धनराशि मंगाने के लिये लोगों को कुछ रूपयों का लालच देकर उनके बैंक खातों का एटीएम लेकर लगातार ठगी कर रहे 04 अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र कुमार उर्फ छोटू पुत्र श्यामसिंह निवासी ग्राम कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ 2. अभिषेक उर्फ नन्दू पुत्र राजेश कुमार वर्मा निवासी ग्राम कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ 3. रितेश वर्मा उर्फ सुमित पुत्र शोभाराम वर्मा निवासी ग्राम भगुआ नगला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ 4.शुभम उर्फ कल्लू उर्फ वैभव पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 318(4)/317(2)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस 2023 तथा 66D IT Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. जितेन्द्र कुमार उर्फ छोटू पुत्र श्यामसिंह निवासी ग्राम कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
2. अभिषेक उर्फ नन्दू पुत्र राजेश कुमार वर्मा निवासी ग्राम कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।
3. रितेश वर्मा उर्फ सुमित पुत्र शोभाराम वर्मा निवासी ग्राम भगुआ नगला थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ ।
4. शुभम उर्फ कल्लू उर्फ वैभव पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम कमालुद्दीनपुर थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्तगण द्वारा जस्ट डायल एप्प के माध्यम में लोगो को ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज भेज कर व्हाट्सएप्प चैट व कॉल कर ट्रांसपोर्ट सुविधा का झांसा देकर एडवांस के रूप में धनराशि लेकर लोगों से साइबर ठगी कर रहे थे तथा धनराशि मंगाने के लिये लोगों को कुछ रूपयों का लालच देकर उनके बैंक खातों का एटीएम लेकर लगातार ठगी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर 04 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर साइबर थाना फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 318(4)/317(2)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस 2023 तथा 66D IT Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणों ने पूछने पर अपने जुर्म से इकबाल करते हुये अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

बरामदगी का विवरण-

01.03 अदद इस्तेमाली मोबाइल,
02.01 अदद ATM बैंक ऑफ इंडिया,
03. 01 अदद बैंक खाता पासबुक, 01 अदद आधार कार्ड,
04. 29336/- रूपये नगद
05.मोबाइल व्हाट्सएप पर मौजूद स्क्रीनशॉट कूटरचित दस्तावेज व बैंक खातों के QR कोड आदि ।

गिरफ्तार /बरामद करने वाली थाना साइबर पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री सुबोध यादव
3. हे0का0 रविन्द्र प्रताप सिंह
4. का0 अरविन्द यादव
5. का0 अनुराग लाम्बा
6. का0 अंकित आर्य
7. का0 दिपिन राठी
8. का0 गौरीशंकर
9. का0 कौटिल्य ।

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 02-02-2025

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/2024 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/2024 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त सन्दीप शाक्य पुत्र नेम सिंह शाक्य नि0 ग्राम अंगदपुर थाना राजा का रामपुर जनपद एटा को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर लूटा गया माल 01 अदद बैग व 03 अदद दुकान की कॉपी बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सन्दीप शाक्य पुत्र नेम सिंह शाक्य नि0 ग्राम अंगदपुर थाना राजा का रामपुर जनपद एटा।

घटना का विवरण:- वादी हितेन्द्र सिंह द्वारा सूचना दि गयी कि दिनांक 12.12.2024 को वादी अलीगंज जनपद एटा से अपनी परचून की दुकान बंद करके अपनी मोटर साइकिल से अपने घर वापस जा रहा था तभी करनपुर गांव थाना कम्पिल के पास तीन अज्ञात व्यक्तियो द्वारा मोटर साइकिल को लात मार कर गिरा दिया गया तथा मेरी मोटर साइकिल व बैग लेकर भाग गए। वादी की सूचना पर थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 182/2024 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचना के क्रम में संदीप शाक्य, हरवेन्द्र, गीतम शाक्य का नाम प्रकाश में आया था । हरवेन्द्र व गीतम शाक्य को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। थाना कम्पिल पुलिस द्वारा वाछिंत अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त को दिनांक 02.02.2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार वांछित अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 12/12/2024 को शाम को अपने दोस्तो के साथ शाम के समय वादी हितेन्द्र की परचून की दुकान के पास उसके घर जाने का इंतजार करने लगे जैसे ही हितेन्द्र नें अपनी दुकान बंद की तो हमने भी उसका पीछा कर हितेन्द्र को सुनसान जगह पर लात मारकर उसे व उसकी मो0सा0 को सडक के किनारे गिराकर मारपीट करके तमंचा दिखाकर उसकी मोटर साइकिल और बैग लूटकर अलीगंज की तरफ भाग गये थे और मोबाइल झाडियों में फेक दिया था। वहां जाकर हम लोगो नें बराबर-बराबर रूपये बांट लिये थे व चोरी गयी मो0सा0 हमने गीतम व हरविन्द्र को दे दी थी । लूटा हुआ बैग अपने घर की तरफ जाने वाले रोड पर बने भट्टे के पास एक खेत में रखे घास फूस के नीचे दबा दिया था जिसमें दुकान की 03 अदद कॉपी थी । जिसको अभियुक्त सन्दीप की निशानदेही पर बरामद किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद बैग
2. दुकान की 03 अदद कॉपी

अभियुक्त सन्दीप शाक्य उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 182/2024 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना कम्पिल

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष विश्वनाथ आर्य
2. उ0नि0 उदयवीर सिंह
3. हे0का0 इशरार अहमद
4. का0 मुन्वेन्द्र

मीडिया सेल फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना शमसाबाद	आजीवन कारावास	दि0- 03.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सतीश चन्द्र पुत्र मदन लाल निवासी खुडनाखार थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ मु0अ0सं0- 0053/2001 वाद स0- 265A/2001 धारा- 302,201 भा0द0वि0 थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 03.02.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2025 को एडीजे 04/ई0सी0एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर आजीवन कारावास व 02 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी - श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय

को0 मो0 हे0का0 अजय कुमार

पैरोकार का0 अविनाश तौमर